न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समक्षः डा0 मधु खरे
सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 606–दो/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–03–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 28/1995–96/अपील.

कमलकिशोर पुत्र रूपनारायणजी श्रीवास्तव
निवासी शाजापुर

——— अपीलार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर
शाजापुर

——— प्रतिअपीलार्थी

श्री आर0डी शर्मा अभिभाषक –अपीलार्थी
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव शास0 अभिभाषक –प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 22 जनवरी 2016 को पारित)

यह अपील म0 प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश दिनांक 12–03–2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त में सारॉश यह है दिनांक 25–4–90 को खनिज निरीक्षक ने ग्राम गिरवर की भूमि सर्वे क0 311 व 312 में से अपीलार्थी द्वारा मिट्टी अवैध रूप से उत्खनन किये जाने संबंधी रिपोर्ट की गई। इस पर प्रकरण कायम किया जाकर अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी ने उत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उत्तर के अलावा कुछ नहीं कहना है। उसके बावजूद अपीलार्थी के अभिभाषक के तर्क

सुने गये एवं उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्क के प्रकाश में एवं अभिलेखनीय साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को अवैध उत्खनन किये जाने पर दोषी पाया गया जिसे परिणामस्वरूप अपर कलेक्टर ने दिनांक 31–7–93 को अपीलार्थी के विरूद्ध अवैध उत्खनन सिद्ध मानकर 480 टन मिट्टी का बाजार मूल्य की दुगनी राशि रू0 1,24,000/– संहिता की धारा 247(7) के अधीन अर्थदण्ड अधिरोपित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 12–3–2001 के द्वारा अपील अस्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर का आदेश यथावत रखा। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि विचारण न्यायालय में अर्थदण्ड मिट्टी की कीमत पर नहीं लगाते हुये मिट्टी से बनी ईंटों पर अर्थदण्ड आरोपित कर दिया है। इस संदर्भ में माईनिंग इंस्पेक्टर के रिपोर्ट का कोलम न. 6 अवलोकनीय है। जिसमें टोटल मार्केट प्राइज आफ मटेरियल सी–एक्सट्रेक्ड एण्ड रिमूवड के अन्तर्गत 60,000/– रू0 पक्की ईटों का मूल्य तथा 2000/– कच्ची इंटों का मूल्य इस प्रकार कुल 62000/– रू0 इंटों का मूल्य निर्धारित किया गया है तथा इसी ईटों के मूल्य 62,000/– रू0 की राशि की दुगनी राशि 1,24,000/– रू0 अर्थदण्ड आरोपित किया है जो विधि एवं विधान के विपरीत है। अर्थदण्ड उत्खनित खनिज पर आरोपित किया जाता है न कि इससे बनाए गए किसी पदार्थ पर। यह भी तर्क किया कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को जो सूचना पत्र दिया गया है, वह विधि के विपरीत था क्योंकि कारण बताओ सूचना में उत्खनन की मात्रा–उत्खनन का स्थान तथा किस दिनांक को अवैध उत्खनन हुआ इसका विस्तृत विवरण होना चाहिए। समस्त तथ्यों का कारण बताओ सूचना पत्र में विस्तृत विवरण नहीं होने से कारण बताओ सूचना पत्र अवैध एवं

त्रुटिपूर्ण था। तर्क में यह भी कहा कि अपीलार्थी द्वारा खनिज का अवैध उत्खनन किया गया इसको सिद्ध करने का भार सबूत प्रत्यर्थी पर था। खनिज निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन के कॉलम नं0 6 के मैटेरियल की कितनी क्वांन्टिटी थी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। खनिज निरीक्षक ने जो प्रतिवेदन दिया है इसमें पंचनामे के तीन साक्ष्य होने का उल्लेख किया है। पंचनामे का एक साक्षी पुरूषोत्तम पिता घासी लाल 1990 से 10 वर्ष पूर्व मृत हो गया था जबकि कथित पंचानामा 25–4–90 को बनाया गया है। पंचनामे पर के साक्षी पुरूषोत्तम का नाम व हस्ताक्षर फर्जी प्रतीत होते हैं। अपीलार्थी को साक्ष्य पर विचार कर कूट परीक्षण का अवसर नहीं दिया गया । तर्क में यह भी आधार लिया कि अवैध रूप से किये गये खनिज का बाजार मूल्य साक्ष्य से प्रमाणित किया जाना चाहिए जिसको कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया। अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि खनिज निरीक्षक शाजापुर द्वारा ग्राम गिरवई के सर्वे कमांक 311 व 313 को दिनांक 24–4–1990 को अपीलार्थी द्वारा ईटों का निर्माण किया जा रहा था। मौको जांच के दौरान 10,000 ईट कच्ची पक्की पाई गई। जांच उपरांत खनिज निरीक्षक द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 247(7) के अधीन कार्यवाही के लिये प्रकरण प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया। खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अपीलार्थी को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 20–1–1993 को उत्तर दिया तथा अपीलार्थी को बचाव एवं सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश दिनांक 31–7–1995 पारित किया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो गुण–दोषों पर सुनवाई उपरांत दिनांक 12–3–2001 को अमान्य की गई है। खनिज निरीक्षक के द्वारा विधि

अनुसार कार्यवाही करके अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करने के पश्चात ही उसके द्वारा खोदी गई मिट्टी की बाजारू कीमत के आधार पर निर्णय लिया गया है। तर्क में यह भी कहा कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार अपील में नहीं होने से अपील निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख में संलग्न कारण बताओ सूचना पत्र से स्पष्ट है कि खनिज निरीक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 25–4–1990 स्थल मौके पर 1,50,000 पकी ईटे तथा 10,000 ईट कच्ची रखी पाई गई तथा विकय करते पाया गया। भूमि से मिट्टी निकाल कर ईट बनाने हेतु अपीलार्थी द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई। म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 247(7) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना। सूचना पत्र में उल्लेख है कि उसके द्वारा480 टन मिट्टी निकाली गई है जिसका बाजार मूल्य 62,000/– होता है अतः बाजार मूल्य का दो गुना 1,24,000/– का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। अपीलार्थी कारण बताओं नोटिस का उत्तर दिया गया। सूचना पत्र में ईटे उसके द्वारा नहीं बनाई गई अथवा ईटों के लिए मिट्टी अन्य किसी से कय की गई इसका उल्लेख नहीं किया गया। अपर कलेक्टर के आदेश में यह स्पष्ट लिखा है कि अपीलार्थी के ग्राम सरवट की सर्वे कमांक 311 तथा 312 से अवैध रूप से मिट्टी का उत्खनन किया है इसलिए तत्समय प्रचलित मिट्टी के बाजार मूल्य की राशि रूपये 62,000/– की दोगुनी राशि 1,24,000/– म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 247(7) के अधीन अर्थदण्ड के रूप में आरोपित किया गया है। अपर आयुक्त ने भी प्रथम अपील में इन बिन्दुओं को दृष्टिगत कर विवेचना करते हुये अपील निरस्त की है। अपीलार्थी का यह तर्क उचित नहीं

है कि अर्थदण्ड ईटों की कीमत पर आरोपित किया गया है जबकि धारा 247(7) में केवल उत्खनित खनिज के बाजार मूल्य पर विचार होगा, उससे बने किसी पदार्थ पर नहीं। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 31–7–1995 में अर्थदण्ड उत्खनित मिट्टी के बाजार मूल्य पर आरोपित किया गया है, ईटों के बाजार मूल्य पर नहीं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त उज्जैन का आदेश दिनांक 12–3–2001 एवं अपर कलेक्टर शाजापुर का आदेश दिनांक 31–7–1995 यथावत रखे जाते हैं।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, म0प्र0,
ग्वालियर